।कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर।

F14 ( ) 2016/FCA/PCCF/CCF-V Jaipur Dated 16.9.2019

सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग राजस्थान के अधिशासी अभियंता खण्ड शाहबाद बांरा द्वारा Construction of BT road from Mamli Laxmipura to Patpadi में जिला बांरा एवं उप वन संरक्षक बांरा की कुल **01.14** है0 वनभूमि के प्रत्यावर्तन हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वेबपोर्टल OSMFWCP पर प्रस्ताव सं. **FP/RJ/ROAD/7127/2014** पर दिनांक 07.08.2016 को रजिस्टर किया गया है। मुख्य वन संरक्षक कोटा द्वारा प्रस्ताव में क्षैत्रीय कार्यालय लखनउ द्वारा चाही गई सूचना के अनुसार प्रस्ताव संशोधित कर भिजवाया गया है। प्रस्ताव का परीक्षण करने पर निम्नानुसार वस्तुस्थिति सामने आयी है।

प्रस्ताव में 1.5 वर्ष के उपरांत सूचना प्राप्त हुई है। प्रकरण में भारत सरकार द्वारा सूचना नही देने के कारण प्रकरण बन्द कर दिया गया है। प्रकरण में यूजर ऐजेन्सी द्वारा आवेदित करने पर प्रकरण का सम्पूर्ण परीक्षण पुनः किये जाने पर निम्नानुसार कमियां हैः—

1. उप वन संरक्षक बांरा द्वारा प्रस्ताव में एन0पी0वी0 गणना ऑनलाईन संलग्न नही की गई।
2. उप वन संरक्षक बांरा द्वारा प्रस्ताव में क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण योजना एवं स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र ऑनलाईन संलग्न नही की गई।
3. उप वन संरक्षक बांरा द्वारा अपने पत्र में प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उलंघन होना पाया गया है किन्तु उक्त की पूर्ती ऑनलाईन पार्ट ।। में पूर्ती नही की गई है एवं स्थानीय वन अधिनियम में प्रयोक्त अभिकरण के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई अंकित नही है। पूर्ण तथ्यात्मक विवरण मय नवीन स्थल निरीक्षण रिपोर्ट सहित ऑनलाईन अपलोड किया जाना प्रस्तावित है।
4. उप वन संरक्षक बांरा द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के गजट नोटिफिकेशन की प्रति ऑनलाईन संलग्न नही की गई।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आवेदक अधिकारी के हस्ताक्षर प्रमाणित नही किया गया है।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विभिन्न विकल्पों का परीक्षण किया जाकर विश्लेषण रिपोर्ट संलग्न नही की गई है।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा लागत लाभ विश्लेषण विवरण भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 1.8.2017 के अनुसार नही है। प्रस्ताव 20 है0 से कम है अतः लागत लाभ विश्लेषण लागू नही है।
8. प्रस्ताव में दी गई गैर वन भूमि के आदेश की प्रति संलग्न नही की गई है।
9. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचनवद्वताओं में प्रस्ताव संख्या, प्रस्ताव का नाम, प्रत्यावर्तित वन भूमि, दिनांक अंकित नही है एवं आवेदक का नाम एवं मुहर अंकित नही है।

अतः प्रस्ताव में उपरोक्त वर्णित पालना होने के उपरांत ही प्रस्ताव अग्रेषित किया जाना प्रस्तावित है पालना पूर्ण करने हेतु मुख्य वन संरक्षक, कोटा को मय हार्ड प्रति लौटाये जाने एवं भविष्य में तीन हार्ड प्रति (मय मूल प्रति) प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।

18/9/19

(D.K. GUPTA)
ACF (FCA)
JAIPUR